न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 126/2025 बउनवानी कृष्ण मुरारी मीना बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर निवासी लोरवाडा, तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 26 **Appeal Number- 321214548094690**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 2.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *ग्राम लोरवाडा के वर्तमान खाता संख्या 256 के मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश ओर अब तक हुए सभी सेटलमेंट के मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस इत्यादि की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ./तह./आरटीआई/2025/115 दिनांक 23.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना के संबंध में राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान भू.अभिलेख अधिनियम 1957 के नियम 28 अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड से संबंधित नकलो हेतु नकल आवेदन प्रस्तुत कर चाही गयी सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को दिनांक 25.8.2025 को ऑनलाईन ही वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उक्त सूचनाऐ अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार उक्तानुसार चाही गयी सूचनाऐ प्रार्थी को उपलब्ध करवाने बाबत तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित करने बाबत निवेदन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण अपीलान्ट उक्त सूचना नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है, साथ ही तहसीलदार सवाईमाधोपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर 3 दिवस के वांछित दस्तावेजो की नकल नियमानुसार उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	